

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्य प्रदेश

क्रमांक/अ.प्रशा./सेल-7/2020/1067  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/09/2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म0प्र0।  
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0।

विषय:- कोविड-19 रोगियों के उपचार हेतु चिकित्सालयों में ड्यूटी के संबंध में दिशा-निर्देश में


—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह संज्ञान में आया है कि कोविड-19 के मरीजों के उपचार में संलग्न चिकित्सकों द्वारा ड्यूटी उपरांत ऑफ लिया जा रहा है। उक्त संबंध में समस्त चिकित्सकों एवं स्टाफ हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जा रहे हैं:-

1. समस्त चिकित्सक एवं स्टाफ जिनकी कोविड वार्ड में ड्यूटी लगाई गई है उनको सामान्य ड्यूटी के अनुसार ही साप्ताहिक अवकाश मान्य किया जाये।
2. कोविड वार्ड में चिकित्सालय में पदस्थ समस्त स्टाफ व चिकित्सकों की ड्यूटी तर्कसंगत रूप से लगाई जाना सुनिश्चित की जाये।
3. कोविड वार्ड में चिकित्सालय में पदस्थ MBBS/मेडिसिन/एनेस्थीजिया के अतिरिक्त अन्य क्लीनिकल विधाओं के स्पेशलिस्ट/पी.जी.एम.ओ. की भी ड्यूटी लगाई जाये।

उक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करे।


अपर मुख्य सचिव लो.स्वा. एवं परि. कल्याण द्वारा अनुमोदित

  
(डॉ.उपेन्द्र दुबे)  
संयुक्त संचालक,(अ.प्रशा.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
म0प्र0

पृ. क्रमांक/अ.प्रशा./एफ-324/सेल-6/2020/1068  
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल,दिनांक 28/09/2020

1. अपर मुख्य सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
4. एम.आई.एस. कक्ष, स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
संयुक्त संचालक,(अ.प्रशा.)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,  
म0प्र0